

प्रेषक,

सुरजन,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा,

उत्तर प्रदेश कानपुर।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3**

लखनऊ दिनांक 16 जनवरी 2018

विषय:-डिप्लोमा सेक्टर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश की अर्हता पुनर्निधारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2704/सोलह-प्रा0शि-3-2013-46(8)/2002, दिनांक 09.01.2013 द्वारा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अर्हता निर्धारित की गयी है। सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-प्रा0शि0प/परिषद/2017/10189, दिनांक 19.12.2017 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 09.01.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एवं डिप्लोमा इन फार्मसी हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम नाम	का अवधि	संख्या-2704/सोलह- प्रा0शि0-3-2013- 46(8)/2002 दिनांक 09.01.2013 के अनुसार निर्धारित अर्हता	शैक्षिक अर्हता
(एच)	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी	3 वर्ष	12 वीं कक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण	12वीं कक्षा न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(ई)	डिप्लोमा फार्मसी	इन	2 वर्ष	इण्टरमीडिएट विज्ञान (10+2) या समकक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण	इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ गणित/जीवविज्ञान (घनस्पति और जन्तु विज्ञान) विषयों में उत्तीर्ण।
-----	---------------------	----	--------	--	--

2- शासनादेश दिनांक 09.01.2013 को निम्न उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,  
(सुरजन)  
विशेष सचिव।

#### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- सहायक निदेशक, (प्रशिक्षण) डीजीईटी, भारत सरकार नई दिल्ली।
- 3- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर।
- 4- निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान 30प्र0 कानपुर।
- 6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 7- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 30प्र0 लखनऊ।
- 8- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ( पूर्वी/मध्य/पश्चिमी/बुन्देलखण्ड ) द्वारा निदेशक।
- 9- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक (द्वारा निदेशक) ।
- 10-गार्ड फ़ाइल।

अस्मिन् से,  
(सुरजन)  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।